

18/12/2020

परावली पेश हुई। आपस में क्लिपिंग 3 पक्षों में  
पेशिका 3 पक्षों में मूलवाद अन्तर्गत धारा 188 RTI  
में जा. प. अन्तर्गत कोष - 7 डिप. - 11 CPC  
का स्वीकार लेकर मूलवाद खारिज हो चुका है  
जिससे उक्त अन्तर्गत उक्त में कोई कार्यवाही  
शेष नहीं होने के लिए जा. प. अन्तर्गत धारा  
212 RTI का एनो स्तर पर खारिज किया  
जाता है।

परावली पेश हुई। आपस में क्लिपिंग 3 पक्षों में  
पेशिका 3 पक्षों में मूलवाद अन्तर्गत धारा 188 RTI  
में जा. प. अन्तर्गत कोष - 7 डिप. - 11 CPC  
का स्वीकार लेकर मूलवाद खारिज हो चुका है  
जिससे उक्त अन्तर्गत उक्त में कोई कार्यवाही  
शेष नहीं होने के लिए जा. प. अन्तर्गत धारा  
212 RTI का एनो स्तर पर खारिज किया  
जाता है।

अध्याक्षक-कलक्टर  
(विलास अग्रिमारी)  
प्रकार विभागीय मालवाडा (सि.)

